<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 287 / 2018 आर.सी.टी. कं. 271 / 18 संस्थापन दिनांक—28.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड्वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

- 1. हाबा पिता भारत भील उम्र 45 साल,
- राहुल पिता रामिसंह उम्र 25 साल, दोनो निवासीगण कुंदामाल थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्तगण

//निर्णय// (आज दिनांक 28.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण पर दिनांक 06.01.2018 को समय 19:00 बजे स्थान— लच्छु भील के घर के सामने कुंदामाल में जुआ खेलते हुए रूपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पाने का **धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के अंतर्गत आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 06.01. 2018 को कस्बा भ्रमण करते मुखबीर की सूचना पर कि,ग्राम कुंदामाल में लच्छु भील के घर के सामने कुछ व्यक्ति हारजीत का दाव लगाकर ताश पत्ते खेल रहे है। सूचना पर विश्वास कर पंचान चरण एवं प्रदीप को सूचना से अवगत कराकर बताये स्थान पर पहुंचे लच्छु भील के घर के सामने हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम हाबा पिता भारत एवं राहुल पिता रामसिंह निवासी कुंदामाल का होना बताया। आरोपीगण की तलाशी लेने पर हाबा के पास 100/— एवं 13 ताश के पत्ते एवं राहुल के पास 150/— नगद एवं 13 ताश पत्ते एवं फंड के 150/— रूपये एवं 26 तालश के पत्ते विधिवत् जप्त किये। थाना वापसी पर अप0 क0 287/18 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण

आप.प्र.क. 287/2018 आर.सी.टी.कं. 271/18

संस्थापन दिनांक 23.05.2018

विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्तगण ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तगण को दंड के परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है, किन्तु अभियुक्तगण के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को जुआ खेलना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 13 द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्तगण **1. हाबा पिता भारत 2. राहुल पिता रामसिंह** को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में 100—100/— रू. इस प्रकार कुल 200/— के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में अभियुक्त हाबा से जप्त धनराशि 100/— रूपये अभियुक्त राहुल से जप्त धनराशि रूपये 150/— तथा फंड के 150/— कुल 400/— के संबंध में अन्य अभियुक्तगण या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यह आदेशित किया जाता है कि यह धनराशि अपील अविध पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0